रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112023-250238
CG-DL-E-23112023-250238

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 680]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 23, 2023/अग्रहायण 2, 1945
No. 680]	NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 23, 2023/AGRAHAYANA 2, 1945

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 863(अ).—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1),द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्यों की सरकारों के साथ परामर्श के पश्चात् भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1968 के, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम'' कहा गया है), नियम 2 में, -

(क) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(क) "अकादमी" से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून या लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी या कोई अन्य अकादमी या संस्था अभिप्रेत है जिसे भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित किया जा सके';

•-• https://www.staffnews.in •-•

(ख) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(घ) "निदेशक" से अकादमी का निदेशक अभिप्रेत है';

3. उक्त नियमों के, नियम 6 में,

(क) उपनियम (1) के, खंड (i) में, "लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी" शब्दों के पश्चात्" या कोई अन्य अकादमी या संस्था" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उपनियम (1) के, खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) राज्य जिसे वह आबंटित किया गया है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण की ऐसी अवधि या उसका भाग";

(ग) उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा;

4. उक्त नियमों के, नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"7. प्रशिक्षण का अभिलेख:- (1) प्रशिक्षण के अधीन परिवीक्षाधीन व्यक्ति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के ऐसे घटकों, क्रियाकलापों और अभ्यासों में भाग लेगा और निर्धारण तथा परीक्षा के माध्यम से किए जाने वाले ऐसे मूल्यांकन से गुजरना होगा जिसे निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी या ऐसी किसी अन्य अकादमी या संस्था के निदेशक द्वारा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित किया जाए, यथास्थिति, समय-समय पर निदेशित किया जाए।

(2) संबद्ध अकादमियों में प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति पर, निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी या अन्य अकादमी या संस्था के निदेशक जिसे केन्द्रीय सरकार अभिहित करे या निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के द्वारा प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, क्रमश: अधिकतम 75 अंक और 250 अंक में से ऐसे अंक देकर, जैसा वह प्रत्येक मामले में उचित समझे, उसके प्रशिक्षण के अभिलेख का निर्धारण करेंगे।

(3) राज्य में प्रशिक्षण की समाप्तिपर, राज्य सरकार के द्वारा इस प्रयोजनार्थ अभिहित अधिकारी के द्वारा, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को अधिकतम 50 अंक में से ऐसे अंक देकर, जैसा वह प्रत्येक मामले में उचित समझे, प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति के प्रशिक्षण के अभिलेख का निर्धारण किया जाएगा।"

5. उक्त नियमों में, नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"8. मूल्यांकन.- (1) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्तिको निदेशक द्वारा संचालित निर्धारण और परीक्षा के माध्यम से ऐसे मूल्यांकन से गुजरना होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए और ऐसी प्रक्रियाओं या किन्हीं विनियमों के अनुसार जो केंद्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों और आयोग के परामर्श से बनाए:

परंतु यह कि सेवा में कोई भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, सिविल सेवा परीक्षा या खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा केंद्रीय या राज्य सेवा में नियुक्ति के लिए किसी अन्य परीक्षा में शामिल नहीं होगा।"

6. उक्त नियमों में, नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"9. कतिपय परिस्थितियों में प्रशिक्षण घटकों को पूरा करने या मूल्यांकन से गुजरने में असफलता- जहां कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति बीमारी या अन्य किसी भी कारण से जिस पर कि उसका कोई नियंत्रण नहीं है, प्रशिक्षण के किसी भी घटक के साथ-साथ निर्धारण और परीक्षा के मूल्यांकन को पूरा करने से निवरित रहता है तो केन्द्रीय सरकार उसे अगले प्रशिक्षण के बैच के

•-• https://www.staffnews.in •-•

साथ ऐसे घटक को पूरा करने या किसी विशेष घटक या परीक्षा आदि जोकि प्रयोजन के लिए निदेशक आयोजित करे, में बैठने की अनुमति दे सकती है, या उसे ऐसे घटक या परीक्षा से पूर्णतया या अंशत: उसे छूट दे सकती है।"

7. उक्त नियमों में, नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"10. मूल्यांकन में असफलता- कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति नियम 8 के अधीन विरिचत विनियमों में प्रशिक्षण के घटक के मूल्यांकन में असफलरहता है, तो केंद्रीय सरकार उसे उन घटकों में पुनर्मूल्यांकन के लिए अनुमति दे सकती है जिनमें वह असफल हुआ था:

परंतु यह कि ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को दिए गए अंकों को उसकी वरिष्ठता का अवधारण करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

8. उक्त नियमों के, नियम 11 में, पार्श्व शीर्षक और उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"11. परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता.-(1) केंद्रीय सरकार उन सभी परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जिन्हें उसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर सेवा में नियुक्त किया गया है या जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण बैच या आवंटन के एक वर्ष के लिए सौंपा गया है, जिसे प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा, नीचे विनिर्दिष्ट रीति में संगठित अभिप्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित योग्यता के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, यथा: –

(क) प्रतियोगिता परीक्षा में संपूर्ण कुल अंक;

(ख) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण और मूल्यांकन) नियम, 2023 के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी द्वारा संचालित प्रशिक्षण के मूल्यांकन में संपूर्ण कुल अंक;

(ग) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी या केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित किसी अन्य अकादमी या संस्था में 'फाउंडेशन कोर्स' प्रशिक्षण के मूल्यांकन में कुल अंक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी या किसी अन्य अकादमी या संस्था में अंकों के महत्व के ऐसे अनुपात में हैं, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अभिहित किया जा सकता है, पारस्परिक ज्येष्ठता के लिए योग्यता के अंतिम मूल्यांकन के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी या किसी अन्य अकादमी या संस्था, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित किया जाए, में अंकों के योग का दस प्रतिशत है:

परंतु यह कि योग्यता के ऐसे क्रम को अवधारित करने में, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को किसी भी विषय में दिए गए अंकों पर ध्यान में नहीं रखा जाएगा, जिसमें वह निदेशक को संतुष्ट करने में असफल रहा है:

परंतु यह और कि यदि दो या दो से अधिक परिवीक्षाधीन व्यक्तियों ने कुल मिलाकर समान अंक प्राप्त किए हैं, तो उनकी योग्यता का क्रम उनकी जन्मतिथि का क्रम होगा।

स्पष्टीकरण- अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने से नियम 6 के परंतुक के अधीन छूट प्राप्त परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की दशा में, अंतिम डिप्लोमा पाठ्यक्रम परीक्षा या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था में अभिप्राप्त अंकों को राज्य वन सेवा में उनकी नियुक्ति से पूर्व उनके द्वारा उत्तीर्ण अंकों के समतुल्य के अनुपात में परिवर्तित किया जाएगा, कि डप्लोमा पाठ्यक्रम परीक्षा में या उसके समतुल्य के रूप में मान्यता प्राप्त परीक्षा, उनके द्वारा उत्तीर्ण पूर्ण कुल अंक, नियम 8 में निर्दिष्ट परीक्षा में कुल अंक और नियम 7 के उप-नियम 2 में निर्दिष्ट अधिकतम अंक हैं और ऐसे मामलों में, प्रशिक्षण के किसी भी घटक में इस स्पष्टीकरण द्वारा कवर किए गए परिवीक्षाधीन व्यक्तियों द्वारा अभिप्राप्त अंक, जिनमें उनका पुनर्मूल्यांकन किया गया था, को नियम 10 के परंतुक के निबंधनों से अपवर्जित किया जाएगा;

•-• https://www.staffnews.in •-•

9. उक्त नियमों के, नियम 12 के, उप-नियम (1) में, "लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी" शब्दों के पश्चात्, "या कोई अन्य अकादमी या संस्था जो केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित किया जा सके" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

10. उक्त नियमों के, नियम 14(क) के, उपनियम (1) में, खंड (क) में, "मसूरी" शब्द के पश्चात्, "या कोई अन्य अकादमी या संस्था जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित की जा सके" शब्द अंतःस्थापित किए जाएगे।

[फा. सं. 11058/09/2023-अ.भा.से.-III]

कविता चौहान, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र मेंसा.का.नि. 152 (अ) द्वारा, तारीख 6 मई, 1968 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित संख्यांक द्वारा संशोधित किए गए।

(i) सा.का.नि.संख्यांक 388, तारीख 1 अप्रैल, 1972;

(ii) सा.का.नि.संख्यांक 472, तारीख 18 मई, 1974;

(iii) सा.का.नि.संख्यांक 948, तारीख 7 सितंबर, 1974;

(iv) सा.का.नि.संख्यांक 986, तारीख 9 अगस्त, 1975;

(v) सा.का.नि.संख्यांक 158, तारीख 7 फरवरी, 1976;

(vi) सा.का.नि.संख्यांक 905, तारीख 26 जून, 1976;

(vii) सा.का.नि.संख्यांक 1020, तारीख 17 जुलाई, 1976;

(viii) सा.का.नि.संख्यांक 1361, तारीख 25 सितम्बर, 1976;

(ix) सा.का.नि.संख्यांक 556, तारीख 30 जुलाई, 1983;

(x) सा.का.नि.संख्यांक 534 (अ), तारीख 25 जून, 1994;

(xi) सा.का.नि.संख्यांक 356, तारीख 14 सितंबर, 2002;

(xii) सा.का.नि.संख्यांक 282 (अ), तारीख 11 अप्रैल, 2007;

(xiii) सा.का.नि.संख्यांक 381 (अ), तारीख 10 मई, 2011; और

(xiv) सा.का.नि.संख्यांक 131 (अ), तारीख 15 फरवरी, 2017

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2023

G.S.R. 863(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules, further to amend the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968, namely: -

1. (1) These rules may be called the Indian Forest Service (Probation) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968, (hereinafter referred to as the "said rules"), in rule 2,-

(A) for clause (a), following shall be substituted, namely: -

•-• https://www.staffnews.in •-•

'(a) "Academy" means the Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun or the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration or any other academy or institution that may be designated by the Central Government for the training of the Indian Forest Service Probationers';

(B) for clause (d), the following shall be substituted, namely:-

(d) "Director" means the Director of the Academy';

3. In the said rules, in rule 6,

(A) in sub-rule (1), in clause (i), after the words "Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration" the words "or any other academy or institution" shall be inserted;

(B) in sub-rule (1), after clause (ii), following clause shall be inserted, namely:-

"(iii) the state to which he is allocated and such period of training or part thereof during the training in the Indira Gandhi National Forest Academy";

(C) the sub-rule (2) shall be omitted;

4. In the said rules, for rule 7, following shall be substituted, namely: -

"7. Record of the Training.- (1) A probationer under training shall attend such components of training curriculum, activities and exercises and undergo such evaluation through assessment and examination as the Director of Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration and the Director of Indira Gandhi National Forest Academy or Director of any other academy or institution that may be designated by the Central Government, as the case may be, may from time to time direct.

(2) At the end of the period of training in the respective academies, the record of the training of each probationer, the Director of Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration or Director of any other academy or institution that may be designated by the Central Government and the Director of Indira Gandhi National Forest Academy shall assess by awarding him such number of marks out of a maximum of 75 marks and 250 marks respectively, as he may, in each case, thinks fit.

(3) At the end of the training in the State, the record of training of each probationer shall be assessed by the officer designated by the State Government for this purpose by awarding the probationer such number of marks out of a maximum of 50 marks as he may, in each case, think fit."

5. In the said rules, for rule 8, the following shall be substituted, namely:-

"8. Evaluation.- (1) Every probationer shall be required during the period of training to undergo such evaluation through assessments and examination, to be conducted by the Director as may be prescribed by the Central Government and in accordance with such procedures or any regulations as the Central Government may, in consultation with the State Governments and the Commission from time to time make:

Provided that no probationer in the service shall, during the period of training at the Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun, appear in either the Civil Services Examination, or in any other examination for appointment to the Central or State Service by open competitive examination.";

6. In the said rules, for rule 9, the following shall be substituted, namely: -

"9. Failure to complete training components or undergo evaluations in certain circumstances.-Where a probationer is prevented by sickness or other causes over which he has no control from completing any components of training along with the assessment and examination for evaluation thereof, the Central Government may allow him to complete such component with the next batch of training or in a special component or examination etc. which the Director may hold for the purpose, or may exempt him from such component or examination etc. in full or part.";

7. In the said rules, for rule 10, the following shall be substituted, namely: -

"10. Failure in evaluation.- Where a probationer fails in the evaluation in component of training in the regulations framed under rule 8, the Central Government may permit him to undergo for re-evaluation in components in which he failed:

Provided that the marks awarded to a probationer on such re-evaluation shall not be taken into account in determining his seniority.";

8. In the said rules, in rule 11, for the marginal heading and sub-rule (1), the following shall be substituted, namely: -

"11. Inter-se seniority of Probationers.- (1) The Central Government shall prepare a list of all probationers who are appointed to the Service on the results of same competitive examination or who are assigned to a training batch or to a year of allotment as determined by the Central Government which shall be arranged in order of merit, determined on the basis of the marks obtained by each probationer, calculated in the manner specified below, namely:-

•-• https://www.staffnews.in •-•

(a) full aggregate marks in the competitive examination;

(b) full aggregate marks in the evaluation in the training conducted by the Indira Gandhi National Forest Academy under the Indian Forest Service (Probationers' Training and Evaluation) Rules, 2023;

(c) aggregate marks in the evaluation in the '**Foundation Course'** training in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration or any other academy or institution that may be designated by the Central Government, proportionated such that the weightage of marks in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration or any other academy or institution that may be designated by the Central Government, for the final evaluation of merit for inter-se seniority is ten per cent of the sum of marks in the competitive examination, Indira Gandhi National Forest Academy and Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration or any other academy or institution that may be designated by the Central Government:

Provided that in determining such order of merit no account shall be taken of marks awarded to a probationer in any subject in which he has failed to satisfy the Director:

Provided further that if two or more probationers have secured equal number of marks in the aggregate, their order of merit shall be the order of their dates of birth.

Explanation- In the case of probationers exempted under proviso to rule 6 from undergoing training at the Academy, the marks obtained in the Final Diploma Course Examination or in any other Institution recognised by the Central Government as equivalent thereto passed by them before their appointment to the State Forest Service shall be transformed in the ratio that the total aggregate marks of the Diploma Course Examination, or an examination recognised as equivalent thereto, passed by them bears to the aggregate marks in the examination referred to in rule 8 and the maximum marks referred to in sub-rule 2 of rule 7 and in such cases, the marks obtained by probationers covered by this explanation in any component of training in which they were re-evaluated shall be excluded in terms of the proviso to rule 10;

9. In the said rules, in rule 12, in sub-rule(1), after the words "Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration", the words, "or any other academy or institution that may be designated by the Central Government" shall be inserted;

10. In the said rules, in rule 14 A, in sub-rule (1), in clause(a), after the words "Mussoorie", the words, "or any other academy or institution that may be designated by the Central Government" shall be inserted.

[F.No. 11058/09/2023-AIS-III]

KAVITA CHUHAN, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 152(E) dated the 6th May, 1968 and subsequently amended vide number,-

(i) G.S.R No.388, dated the 1st April, 1972;

(ii) G.S.R No.472, dated the 18th May, 1974;

(iii) G.S.R No.948, dated the 7th September, 1974;

(iv) G.S.R No.986, dated the 9th August, 1975;

(v) G.S.R No.158, dated the 7th February, 1976;

(vi) G.S.R No.905, dated the 26th June, 1976;

(vii) G.S.R No.1020, dated the 17th July, 1976;

(viii) G.S.R No.1361, dated the 25th September, 1976;

(ix) G.S.R No.556, dated the 30th July,1983;

(x) G.S.R No.534(E), dated the 25th June, 1994;

(xi) G.S.R No.356, dated the 14th September, 2002;

(xii) G.S.R No. 282(E), dated the 11th April, 2007;

(xiii) G.S.R No. 381(E), dated the 10th May, 2011; and

(xiv) G.S.R No. 131(E), dated the 15th February, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

•-• https://www.staffnews.in •-•